न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी अजंना सहरावत आर0ए0एस0

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
01/2021	19.01.2021	13.05.2023

उनवान

1. नरेश पुत्र नन्दकिशोर
2. चेनसुख पुत्र नन्दकिशोर जातियान मीणा निवासीगण नौनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादीगण

बनाम

1. कान्तीबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि रामेश्वर जाति मीणा निवासी नौनेरा तहसील पीपल्दा हाल निवास बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
2. गीता पुत्री मोतीलाल पत्नि हेमराज जाति मीणा निवासी नौनेरा तहसील पीपल्दा हाल निवास मालबमोरी तहसील मांगरोल जिला बारा राज0
3. नटी पुत्री मोतीलाल पत्नि सोभागमल जाति मीणा निवासी नौनेरा तहसील पीपल्दा हाल निवास किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारा राज0
4. ललिता पुत्री मोतीलाल पत्नि मुरलीधर उर्फ मुरारी जाति मीणा निवासी नौनेरा हाल निवास कवल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
5. अनिता पुत्री नन्दकिशोर पत्नि कोशलकिशोर जाति मीणा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा हाल निवास उल्ती–कोयल तहसील व जिला बारा राज0
6. ममता पुत्री नन्दकिशोर पत्नि नेमीचन्द जाति मीणा निवासी नौनेरा हाल निवास लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
7. रमेशबाई पत्नि नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी नौनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री मनोज शर्मा–अधिवक्ता वादीगण
2. श्री महावीर मित्तल–अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0 टी0 एक्ट0 बाबत् घोषणा

खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

.....2.....

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खाता संख्या 47 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 के संयुक्त खाते में खसरा नम्बर 118 पूर्व की 2.25 हैक्टर,खसरा न0 119 पूर्व रकबा 1.97 हैक्टर,ख0 न0 326 रकबा 3.10 हैक्टर,ख0न0 531 रकबा 1.22 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 8.54 हैक्टर भूमि स्थित है उपरोक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजों से विरासतन प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी आराजी है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 का विवाह वादीगण के पिता नन्दकिशोर ने किया है तथा प्रतिवादीक्रम 6 का विवाह वादीगण ने अपने पिता की मृत्यु के बाद किया है प्रतिवादीक्रम 1 ता 6 अपने ससुराल में रहती है प्रतिवादीक्रम 7 वादीगण के पास निवास करती है जिसका समस्त भरण–पोषण वादीगण करते हुए चले आ रहे है। वादीगण मृतक मोतीलाल के पौत्र है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 4 मोतीलाल की पुत्रिया हैं तथा 5 व 6 मोतीलाल की पौत्रियां हैं तथा प्रतिवादी क्रम 7 मोतीलाल की पुत्र–वधू है वादीगण के पिता नन्दकिशोर है तथा दादा का नाम मोतीलाल है उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण को मोतीलाल जी से ही विरासतन प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार से है।

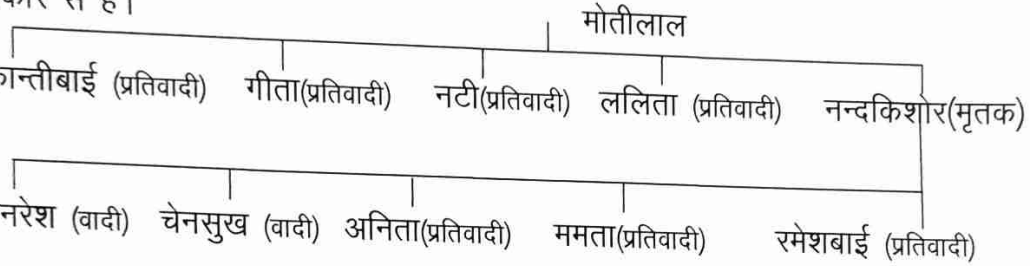

यह कि विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है वादीगण से पहले उक्त आराजी पर नन्दकिशोर ही काश्त करते थे और नन्दकिशोर जी से पहले वादीगण के दादा मोतीलाल जी काश्त करते थे विवादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है प्रतिवादीगण का उपरोक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण का ही कब्जा काश्त रहा है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण मीणा जाति के है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के है जिन पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है वह पुराने हिन्दु लॉ से गर्वन होते हैं। मीणा जाति में पुरूष वारिस जीवित होने पर पुत्री, विधवा, पत्नि को आराजी में कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं सम्पत्ति को रहन, बेचान,दान,वसीयत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है इस कारण प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 का विवादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार व हिस्सा नहीं है और वह किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त आराजी में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और वादी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह उपरोक्त आराजी में प्रतिवादीगण 1 ता 7 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर बतौर खातेदार अपना नाम दर्ज करावे और न्यायालय की सहायता से खातेदारी की घोषणा करावे और प्रतिवादीगण को उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने से रोके तथा वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने से रोके।

उपखण्ड अधिकारी
इन्द्रगढ़

यह कि दिनांक 05.01.2021 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 ने वादीगण को धमकि दी की विवादित आराजी में हमारा नाम है उपरोक्त भूमि हमे हमारे पिता,पितामह,ससुर,पति से प्राप्त हुई है तथा हम हमारे हिस्से की आराजी पर काश्त करेगें विवादग्रस्त आराजी को विक्रय करेगें और अब वादीगण को फसल काश्त नहीं करने देगें हमारे हिस्से को विक्रय करेंगे और वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को दीगर व्यक्ति को विक्रय करेगें प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में नाम का फायदा उठाकर वादीगण की आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचने को आमादा है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 8 से भी निवेदन किया की वह प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 का नाम विवादग्रस्त आराजी के खाते से हटावे क्योंकि मीणा जाति में पुरूष वारिस होने पर पुश्तैनी आराजी पर लडकियों व विधवाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है और न ही वह कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है आपके द्वारा अवैध रूप से नाम दर्ज किया गया है। इस पर प्रतिवादीक्रम 8 ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता अदालत में जाकर कार्यवाही करो। मैं अदालत के आदेश की पालना करूंगा इस कारण वादीगण को माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना पडा है प्रतिवादी क्रम 8 लैण्ड होल्डर है जिसके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गयी है उसे मात्र न्यायालय आदेश की पालना करनी है इसलिए धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

यह कि वाद कारण दिनांक 05.01.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने तथा वादीगण को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल कर फसल नष्ट करने की धमकी देने तथा वादीगण को फसल काश्त नहीं करने देने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है तथा अंत में वाद पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

तदुपरान्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार के द्वारा कई अवसरों पर जवाब पेश नहीं करने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीक्रम 1 ता 7 की ओर से सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा वाद पत्र के कथनों को सही होना स्वीकार किया। इस कारण पत्रावली में विवाधक कायम न किये जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गयी। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में पी0डब्लु 1 नरेश, पी0डब्लु 2 चेनसुख, पी0डब्लु 3 छोटुलाल, पी0डब्लु 4 पार्वतीबाई के बयान पेश किए गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया तथा वादीगण ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी नौनेरा सम्वत् 2073 से 2076 पेश की जो प्रदर्श 1 है।

नकल जमाबंदी नौनेरा सम्वत् 2065 से 2068 पेश की जो प्रदर्श 2 है नकल जमाबंदी नौनेरा सम्वत् 2069 से 2072 पेश की जो प्रदर्श 3 है। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करना चाहा तथा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहा इस कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु ली गयी बहस सुनी गयी वादीगण के उजरात सही प्रतीत होते है। वादीगण अपना दावा कानूनन साबित करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जवाब में दावे को मंजूर किए जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण आज लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पेश राजीनामे को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

क्रियात्मक आदेश

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नौनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खाता संख्या 47 में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 के संयुक्त खाते में खसरा नम्बर 118 पूर्व की 2.25 हैक्टर,खसरा न0 119 पूर्व की रकबा 1.97 हैक्टर,ख0 न0 326 रकबा 3.10 हैक्टर,ख0न0 531 रकबा 1.22 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 8.54 हैक्टर कृषि आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 का नाम खाते से हटाया जावे तथा सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

आदेश आज दिनांक 13.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अंजना सहस्रवत)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा